रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1938] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 10, 2017/आषाढ़ 19, 1939
No. 1938] NEW DELHI, MONDAY, JULY 10, 2017/ASADHA 19, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2017

का.आ. 2177(अ).—यत:, मै. काकीनाड़ा एसईजेड प्राईवेट लिमिटेड, ने आंध्र प्रदेश राज्य के पोन्नदा, मुलापेटा, रामनंक्कापेटा, काकीनाड़ा गाँव, पूर्व गोदावरी जिले में बहु उत्पाद विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यत:, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त आधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्याआ का.आ. 342(अ) दिनांक 06 फरवरी, 2013 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 1013.6 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यत;, मैं. काकीनाड़ा एसईजेड प्राईवेट लिमिटेड ने उपरोक्त स्थान पर स्थित केएसईजेड-1 एवं केएसईजेड-2 के 2049.3088 हेक्टेयर क्षेत्र को क्लब करने का प्रस्ताव किया था और केन्द्र सरकार ने दिनांक 13.01.2016 को स्वीकृत पत्र प्रदान कर दिया था;

और यत;, मैं. काकीनाड़ा एसईजेड प्राईवेट लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 121.43 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यत;, आंध्र प्रदेश सरकार ने उनके दिनांक 23.05.2017 के पत्र सं. 8400/इन्फ्रा/ए1/2015 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यत;, विकास आयुक्त, विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 121.43 हेक्टेयर क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव को संस्तुति की है;

और यत:, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संम्बधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अत:, अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा **121.43 हेक्टेयर** के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग में से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणत: कुल क्षेत्र **1927.8788 हेक्टेयर** हो जाएगा जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल है, अर्थात:-

तालिका

क्र. स.	सर्वेक्षण संख्या	गाँव का नाम	प्रस्तावित अनधिसूचित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1.	235/पार्ट	पोन्नदा	3.26
2.	236	पोन्नदा	5.71
3.	238	पोन्नदा	5.45
4.	239	पोन्नदा	0.36
5.	243	पोन्नदा	4.73
6.	244/1	पोन्नदा	6.86
7.	244/2	पोन्नदा	5.64
8.	245	पोन्नदा	5.73
9.	247/1	पोन्नदा	5.58
10.	248	पोन्नदा	6.98
11.	286	पोन्नदा	5.04
12.	287	पोन्नदा	9.82
13.	288	पोन्नदा	25.80
14.	289	पोन्नदा	15.81
15.	367	पोन्नदा	10.12
16.	368	पोन्नदा	2.08
17.	246	पोन्नदा	0.59
18.	361	पोन्नदा	1.87
19.		**कुल**	**121.43**
20.		**उपर्युक्त घटाव के बाद एसईजेड का कुल क्षेत्रफल**	**1927.8788**

[फा. स. एफ.1/17/2011-एस.ई.जेड]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2017

S.O. 2177(E).—Whereas, M/s. Kakinada SEZ Private Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Multi Product Special Economic Zone at Ponnada, Mulapeta, Ramanakkapeta Villages in Kakinada, East Godavari District, in the State of Andhra Pradesh;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 1013.64 hectares vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 342(E) dated 06.02.2013;

AND, WHEREAS, M/s. Kakinada SEZ Private Limited ha proposed for clubbing of KSEZ-1 and KSEZ-II at above location over an area of 2049.3088 hectares and Central Government has granted letter of approval on13.01.2016;

AND, WHEREAS, M/s. Kakinada SEZ Private Limited has now proposed for de-notification of 121.43 hectares at the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Andhra Pradesh has given its approval to the proposal vide letter No.8400/Infra/A1/2015, dated 23.05.2017;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Visakhapatnam Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 121.43 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 121.43 hectares**, thereby making resultant area as **1927.8788 hectares**, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:-

TABLE

S. No.	Survey No.	Name of Village	Proposed denotified area in hectares
1.	235/Part	Ponnada	3.26
2.	236	Ponnada	5.71
3.	238	Ponnada	5.45
4.	239	Ponnada	0.36
5.	243	Ponnada	4.73
6.	244/1	Ponnada	6.86
7.	244/2	Ponnada	5.64
8.	245	Ponnada	5.73
9.	247/1	Ponnada	5.58
10.	248	Ponnada	6.98
11.	286	Ponnada	5.04
12.	287	Ponnada	9.82
13.	288	Ponnada	25.80
14.	289	Ponnada	15.81
15.	367	Ponnada	10.12
16.	368	Ponnada	2.08
17.	246	Ponnada	0.59
18.	361	Ponnada	1.87
19.		**Total Area**	**121.43**
20.		**Total remaining area of the SEZ after above deletion**	**1927.8788**

[F. No. F.1/17/2011-SEZ]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Addl. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.07.12 22:40:21 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.